

9876  
14/3/14

39

1417

बिहार BIHAR  
Serial No. 2813

SN 2562

Dated 13.3.2014

Sold to

Dr. Ram Narayan  
Shivpuri W.N.O.

Dr. Rakhi / Nathuni

G. 893775

500 x 6 = 3000  
100 x 10 = 1000  
10000

बिहार सरकार

ASHOK KUMAR VERMA

STAMP VENDOR

जिला निबंधन कार्यालय, अररिया सदर

पृष्ठांकन का सारांश

CIVIL COURT, ARARIA

LICENCE N. 125/74

दिनांक 14/03/2014 को Dr. Ram Narayan Bharti द्वारा यह दस्तावेज निबंधन हेतु उपस्थापित किया गया। इसमें रु0 5000 मुद्रांक शुल्क एवं रु0 3470 निबंधन तथा अन्य शुल्क का भुगतान किया गया। दस्तावेज ग्राह्य पाया गया। जिन लेखकारियों ने मेरे समक्ष इसका निष्पादन स्वीकार किया उनके तथा उनके पहचानकर्ता के नाम, फोटो, अंगुलियों के निषान एवं हस्ताक्षर पीछे अंकित हैं। इसे दस्तावेज सं0 15 के रूप में पुस्तक सं0 4 की जिल्द सं0 1 के पृष्ठ सं0 175 से 192 तक CD में आज निबंधित एवं कुल 18 पृष्ठों में संधारित किया गया।

भारती सेवा सदन ट्रस्ट

सुरेश कुमार कनोडिया  
निबंधन पदाधिकारी

दिनांक- 14/03/2014

टोकन नं. 2849/2014

न्यास - पत्र

यह न्यास पत्र आज दिनांक 14/03/2014 का स्थान, मुहल्ला - ग्राम + पो0 - शिवपुरी, वार्ड नं0 - 09, भूदान नियर चर्च - अररिया (बिहार) द्वारा डा0 रामनारायण भारती, पिता - स्व0 नथुनी शर्मा, स्थान, मुहल्ला - ग्राम + पो0 - शिवपुरी, वार्ड नं0 - 09, भूदान नियर चर्च - अररिया (बिहार) (dr.rak.bharti@gmail.com) संस्थापक है, जो कि ट्रस्ट के संस्थापक/ ट्रस्टी सदस्य के नाम से जाने जाएंगे।

हमारी हार्दिक अभिलाषा है कि समाज में स्थायी सुख-शान्ति, संगठन, सद्भाव एवं विश्वास के साथ गुणों की स्थापना हेतु न्यास की स्थापना की जाए तथा उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ती के लिए आवश्यक समस्त साधनों का संग्रह किया जाए। इसके निमित्त प्रारंभ मुद्रा - 151000/- (एक लाख एकावन हजार रुपया मात्र) प्रदान करते हैं जो कि मैं निष्पादनकर्ता आजीवन संस्थापक के रूप में कार्यरत रहेंगे।

Dr. Ram Narayan Bharti's Affidavit documents  
and of Ashward. correct. 14/03/14

**District Registry Office, Araria Sadar**

Token Number 2843

Reg. Year 2014

Serial Number 2813

Deed Number 15

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Presented By	Dr. Ram Narayan Bharti <i>Dr. Ram Narayan Bharti</i> 14/02/2014						
Sig.	Bharti Sewa Sadan Trust	<input checked="" type="checkbox"/> Photo	<input checked="" type="checkbox"/> Thumb	<input checked="" type="checkbox"/> Index	<input checked="" type="checkbox"/> Middle	<input checked="" type="checkbox"/> Ring	<input checked="" type="checkbox"/> Little
Trustee	Dr. Ram Narayan Bharti <i>Dr. Ram Narayan Bharti</i> 14/03/2014						
Identified By	Virendra Tatma <i>Birendrakumar Sharma</i> 14/03/2014						
Trustee	Bharat Sharma <i>Bharat Sharma</i> 98/03/098						
Trustee	Rajeev Kumar <i>Rajeev Kumar</i> 14/03/2014						
Trustee	Runa Bharti <i>Runa Bharti</i> 98/03/098						
Trustee	Sanjay Kumar Jha <i>Sanjay Kumar Jha</i> 14/03/14						

SCORE Ver.3.0

Powered by InfoSystem and Solutions, Patna

Biometric Captured By 4100sop007

*Dr. Ram Narayan Bharti*



बिहार BIHAR

SN 3562

Dated 13.3.2014

Sold to G 893776

Dr. Ram Narayan Pharti  
P/S

at Shivpuri W.N. 09  
for Ashok Kumar Verma

ASHOK KUMAR VERMA  
STAMP VENDOR  
CIVIL COURT, ARARIA  
LICENCE No-125/74

1. न्यास का नाम : भारती सेवा सदन ट्रस्ट
2. न्यास का पंजीकृत कार्यालय : शिवपुरी, वार्ड नं० - 09, भूदान नियर चर्च अररिया (बिहार)।
3. न्यास का कार्यक्षेत्र : न्यास का कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारतवर्ष होगा।

उपर्युक्त न्यासी, न्यास के उद्देश्यों की पूर्ती के लिए संस्थापक/न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिये होंगे और उसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसी कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रित हो। एवं प्रकृतिक वातावरण जिसमें सम्मिल है, वन, झील, नदियाँ तथा वन्य जीव के संरक्षण तथा सुधार के लिए कार्य करने एवं समस्त जीवित प्राणी के लिए दया भाव पैदा करना।

4. न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या:- न्यास में ट्रस्टी सदस्य की संख्या कम से कम चार और अधिक से अधिक जितने ट्रस्टी सदस्य बना सकेंगे।








**District Registry Office, Araria Sadar**

Token Number 2843

Reg. Year 2014

Serial Number 2813

Deed Number 15

PresType	Name	Photo	Thumb	Index	Middle	Ring	Little
Trustee	Shyam Ram						
Sig.	 14/03/014						

SCORE Ver.3.0

Powered by InfoSystem and Solutions, Patna

Biometric Captured By 4100sop007



बिहार BIHAR

SN 3562 dated 13.3.2014 Sold for  
 Dr. Ravi Narayan Bharti, at Shri... G 895770  
 Araria

ASHOK KUMAR VERMA  
 STAMP VENDOR  
 CIVIL COURT, ARARIA  
 LICEN... No-125/74

5. न्यास का गठन:-

क्र०	नाम/पिता/पति/ का नाम	पता	पेशा	पद
1.	डा० रामनारायण भारती, पिता - स्व० नथुनी शर्मा	शिवपुरी, वार्ड नं० - 09, भूदान नियर चर्च अररिया (बिहार)	चिकित्सक समाज सेवा	संस्थापक अध्यक्ष
2.	श्रीमती रूणा भारती पिता - अर्जुन शर्मा	शिवपुरी, वार्ड नं० - 09, भूदान नियर चर्च अररिया (बिहार)	समाज सेवा	कोषाध्यक्ष
3.	श्री भरत शर्मा पिता - विष्णु शर्मा	ग्राम+पो०- जोकिहाट जिला- अररिया।	समाज सेवा	सचिव
4.	संजय कुमार झा पिता- स्व० परमेश्वर झा	काली बाजार, वार्ड नं० - 13, जिला - अररिया।	समाज सेवा	ट्रस्टी सदस्य
5.	राजीव कुमार पिता- शुकदेव ताँती	रसोंक, था० - मोरकाही जिला- खगड़िया	समाज सेवा	ट्रस्टी सदस्य
6.	श्याम राम पिता-हरिलाल राम	सुंदरी, पो०-पहुँसी, जिला-अररिया	समाज सेवा	ट्रस्टी सदस्य

उपरोक्त समत न्यायसी, न्यास के उद्देश्यों को पूर्ति के लिए संस्थापक अध्यक्ष के साथ मिलकर कार्य करना स्वीकार करते हैं।

न्यास का लक्ष्य एवं उद्देश्य पूर्ण रूप से समाज के उत्थान के लिए होंगे और इसके आय से बिना किसी पक्षपात के सर्व कल्याणार्थ प्रयोग की जाएगी। इसमें कोई भी ऐसी कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिससे किसी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ अर्जित करना अभिप्रेत हो।



14/03/14





बिहार BIHAR

SN 3562

Dated 13.3.2014

Rs. 500

Dr. Ram Narayan Bharti  
for

Dr. Ram Narayan Bharti  
for

G 895772

ASHOK KUMAR VERMA  
STAMP VENDOR  
CIVIL COURT, ARARIA  
LICENCE No-125/74

4. समाज के गरीब, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों, कमजोर वर्गों, आदिवासियों के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, नैतिक विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना।
5. शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वावलम्बी बनाने हेतु टंकण कला, आशुलिपि, कम्प्युटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल एवं अन्य तकनीकी, गैर तकनीकी प्रशिक्षण न्यास का संचालन करना।
6. समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे बाल-विवाह, वेश्यावृत्ति, दहेज प्रथा, नशाखोरी, सम्प्रदाय वाद इत्यादि की समाप्ति करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों, संगोष्ठियों, शिविर, पदयात्रा, प्रतियोगितायें आदि का आयोजन करना। आदर्श विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहित करना।
7. प्राकृतिक आपदा एवं अन्य आपातकाल में अनेकानेक जन कल्याणकारी कार्यक्रमों का संचालन करना। प्राकृतिक प्रकोपों से पीड़ित जन समुदाय को हर संभव सहयोग करना।
8. पर्यावरण का प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु वृक्षारोपण एवं अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान का संचालन करना। लोगों को स्वच्छ पेयजल, शौचालय आदि उपलब्ध कराना।
9. पुस्तकालय, वाचनालय, संगीतालय का संचालन करना। पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन वितरण एवं संग्रह करना। नाटक, नृत्य, संगीत, वाद्य का प्रशिक्षण देना।

Rajeev Kumar  
14/03/14





बिहार BIHAR

GN 3562

Dated 13.3.2014

Sl. No

Dr. Ram Narayan, Bharti of Shripur w.n G 895773  
 4000/-  
 Ashok Kumar Verma

13/3/2014  
**ASHOK KUMAR VERMA**  
 STAMP VENDOR  
 CIVIL COURT, ARARIA  
 LICENCE No-125/74

10. समाज के गरीब एवं निःसहाय लोगों के आर्थिक, विकास हेतु लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, गृह उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, मत्स्यपालन, मधुमक्खीपालन, रेशमकीट पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग फल एवं खाद्य प्रसंस्करण का प्रशिक्षण देना।
11. उर्जा के संरक्षण हेतु बायो गैस प्लांट, सौर उर्जा, उर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों की जानकारी देना एवं उपलब्ध कराना।
12. पंचायती राज, वयस्क-मताधिकार, मानवाधिकार, उपभोक्ता-संरक्षण आदि के बारे में लोगों को जानकारी देना एवं जागरूक करना।
13. नेत्रहीन, मूक, बधिर, शारीरिक रूप से विकलांग एवं मानसिक रूप से अर्द्धविकसित बच्चों, लोगों के शैक्षणिक विकास हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र संचालन करना। उनके लिए कल्याणकारी कार्यों का सम्पादन करना। विकलांगता के रोकथाम हेतु कार्य करना।
14. बेसहारा पशुओं की समुचित देख-रेख एवं चिकित्सा की व्यवस्था करना एवं रक्षा हेतु अभियान चलाना।
15. कृषि एवं बागवानी के विकास हेतु कृषकों को आधुनिक औजार, उन्नत बीज, उन्नत खाद्य, वर्मी कम्पोस्ट, सिंचाई के उपयुक्त साधन, जलछाजन, जलसंचयन, नलकुप, तालाब, पोखर आदि उपलब्ध कराना। औषधीय पौधों के उत्पादन हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना।
16. अनाथ बच्चों, वृद्धों, विधवाओं, वेश्याओं, प्रताडित, परित्यक्ता, असहाय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्यों का संचालन करना। उनके लिए आश्रय स्थल, भोजन,

Ram Narayan  
 14/03/2014







बिहार BIHAR

SN 3562

Dated 13.2.2014

Post to H 922450

Dr. Ran Narayan Bhanji at Shripuri W.N. 1000  
for Trust Deed of Ashok Kumar Verma



ASHOK KUMAR VERMA  
STAMP VENDOR  
CIVIL COURT, ARARIA  
LICENCE No-125/74

14/11/14  
Rajeev Kumar


9

- शिक्षा, चिकित्सा आदि उपलब्ध कराना। बाल-श्रमिकों के कल्याणार्थ कार्यक्रमों का संचालन करना उनके शिक्षा-भोजन, एवं पुनर्वास, सेवामूह की व्यवस्था करना।
17. महिलाओं एवं बच्चों के चौमुखी विकास हेतु महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह, पालना गृह, पौष्टिक अहार केन्द्र, महिला सशक्तिकरण आदि कार्यक्रमों का संचालन करना।
  18. महिलाओं को रोजगारान्मुख बनाने हेतु सिलाई, कटाई, बुनाई, पेन्टिंग, मधुबनी पेन्टिंग, एपलिक, सौन्दर्य एवं प्रसाधन एवं अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण देना एवं स्वावलम्बी बनाने में मदद करना।
  19. राष्ट्रीय एकता, आपसी सद्भावना, धर्म निरपेक्षता के लिए लोगों को जागरूक करना जातीय भेद-भाव को समाप्त करने हेतु सभी प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन करना।
  20. परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत बंध्याकरण कैंम्प एवं एक या दो बच्चों का नारा देना तथा लोगों को तैयार करना।
  21. दो बच्चों के मध्य कम से कम 3 वर्ष का अन्तर रखने के वास्ते प्रचार प्रसार करना।

10/11/14  
Rajeev Kumar  
Dr. Ran Narayan Bhanji  
14/11/14  
Rajeev Kumar







बिहार BIHAR

SN 3562

Dated 12.3.2014

H 922452



Dr. Ram Narayan Bhatti at Wazirpur W.M. 9  
for Trust deed of 1008

ASHOK KUMAR VERMA

STAMP VENDOR

3. स्थाई सदस्य - कोई भी व्यक्ति जिनकी आय 18 वर्ष से अधिक होनी और सदस्यता शुल्क के रूप न्यास द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कर न्यास के स्थाई सदस्य हो सकते हैं।
4. संस्थागत सदस्य - कोई भी संस्था जो न्यास के उद्देश्य के लिए गठित की गई है वे निर्धारित शुल्क अदा कर न्यास के संस्थागत सदस्य बन सकते हैं।
5. संस्थापक सदस्य - जो सदस्य न्यास की स्थापना में सहायता किये हों और स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर अंकित हो वे संस्थापक सदस्य कहे जायेंगे और सदस्यता शुल्क के रूप में न्यास द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करने होंगे।

3. सदस्यता की समाप्ति/विमुक्त :-

1. स्वयं त्यागपत्र देने पर।
2. दिवालिया या पागल होने पर।
3. न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्य करने पर।
4. न्यास के नियमों और विनियमों के उल्लंघन करने पर विपरीत आचरण पर।
5. प्रबंध समिति द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने पर संस्थापक द्वारा निष्काषित करने पर।
6. संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा निष्काषित करने पर।

4. न्यास का प्रबंधन :-

न्यास का प्रबंधन संस्थापक सह मुख्य न्यासी द्वारा गठित प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा जिसमे पदाधिकारी सहित सात सदस्य होंगे। प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा किन्तु आवश्यकता पड़ने पर या विशेष परिस्थिति में उत्पन्न होने पर संस्थापक/न्यासकर्ता को यह अधिकार होगा कि वे प्रबंध समिति को भंग कर नया प्रबंध समिति गठित कर लें। विशेष परिस्थिति में प्रबंध समिति में किसी रिक्ति को भरने का अधिकार संस्थापक सह मुख्य न्यासी को होगा जो शेष अवधि के लिए मनोनीत किये जायेंगे।

न्यास के उद्देश्य के पूर्ति हेतु न्यास के अधिकार निम्नलिखित होंगे :-



Dr. Ram Narayan Bhatti  
W.M. 9  
14103

Rajeev Kumar  
14103

Syam Ram  
14103



बिहार BIHAR V.N. 3562 Date 13.2.2014  
 Dr. Ram Narayan Bharti at Shikhar's will H 922453  
 is trustee for Trust Decd. 1008  
 Ashok Kumar Verma

ASHOK KUMAR VERMA

- दान, चन्दा, अनुदान, ऋण, सदस्यता शुल्क, सहयोग, शक्ति, व्यक्ति विशेष, न्यास स्वेच्छिक संगठन, न्यास और सरकार से प्राप्त करना और जनहित में कार्यक्रम संचालित करना।
- समय-समय पर न्यास के कोष/निधि का उपयोग न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु करना।
- न्यास के सम्पत्ति में वृद्धि करने का उपाय करना और न्यास के निधि का उपयोग शेयर, स्टॉक एवं अन्य जमा पूंजी में निवेश करना या राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकधर, एच0डी0एफ0सी0/आई0सी0आई0सी0आई0/मल्टीनेशनल बैंक में खाता खोलकर जमा करना।
- न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राजीव गाँधी फाउन्डेशन बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नवार्ड, कपार्ट, विश्व बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय संगठनों, विश्व स्वास्थ्य संगठन या संगठनों से दान, अनुदान एवं ऋण प्राप्त करना।
- न्यास कोष/निधि का उपयोग समाज के उत्थान एवं उनकी कल्याण के कार्यक्रमों में प्रयोग किया जायेगा।
- न्यास के कोष/निधि से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति किराया/लीज/पट्टे पर लेना एवं देना।
- न्यास के नाम से बचत/चालू/आवर्ती जमा/अनावर्ती जमा खाता खोलना और न्यास का कोष संचित करना और खाता का संचालन संस्थापन/न्यासकर्ता या उनके द्वारा अधिकृत न्यासी के हस्ताक्षर से करना और समय-समय पर संशोधन हेतु बैंक/डाकधर को सूचित करना।
- न्यास का प्रतिनिधित्व करने हेतु प्रतिनिधि/परामर्शदाता नियुक्त करना/अधिकृत करना।
- न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पूर्ण कालिन/अंशकालिन वैतनिक/अवैतनिक अधिकारियों/लापरवाही के लिए दंडित करना और नियुक्ति रद्द करना।
- न्यास के उद्देश्य और नियमावली में आवश्यकतानुसार संशोधन करना।





बिहार BIHAR



SN 3562

Dated 13.3.2014

Dr. Ram Narayan for at Shriport wing H 922454  
for Trust deed of 2008

Ashok Kumar Verma

ASHOK KUMAR VERMA

STAMP VENDOR

LICENCE No-125/74

11. किसी अन्य न्यास/ट्रस्ट/संगठन/न्यास की पूर्ति करना।
12. न्यास का स्थानान्तरण/हस्तान्तरण करना या देना।
13. न्यास के सम्पत्ति, कोष/निधि समान उद्देश्य वाले न्यास/स्वैच्छिक संगठन, न्यास/ट्रस्ट को देना।
14. न्यास के उद्देश्य की पूर्ति हेतु आवश्यकतानुसार समाज के कल्याणार्थ, राज्य/जिला/प्रखण्ड/पंचायत शाखा समिति गठित करना और उद्देश्य के अनुरूप कार्यक्रम संचालित करना और राज्य/केन्द्र सरकार को कार्यक्रम संचालन में सहयोग प्रदान करना।
15. न्यास के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना और वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आय व्यय लेख का अंकेक्षण करना और अंकेक्षण हेतु अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
16. न्यास के प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन करना और प्रबंध समिति गठित करना।
17. न्यास के सदस्यों की संख्या कम से कम 3 होगी और अधिक से अधिक 5 होगी।
18. संस्थापन/न्यासकर्ता को अतिरिक्त न्यासी को मनोनीत करने का अधिकार होगा। उनका कार्यकाल संस्थापन/न्यासकर्ता द्वारा तय किया जाएगा।
19. संस्थापन/न्यासकर्ता को समय-समय पर नियम पर नियम बनाने परिवर्तन और संशोधन का अधिकार होगा। न्यासी के बैठक में कोरम न्यासी की उपस्थिति से होगा एवं सभी निर्णय संविधान के अन्तर्गत लिए जायेंगे।

6. प्रबंध समिति का निर्वाचन :-

प्रबंध समिति का निर्वाचन प्रत्येक तीन वर्षों पर होगा। प्रबंध समिति का गठन निबंधन के पश्चात निर्वाचन के आधार पर होगा।





BIHAR BIHAR ON 3562 dated 13.3.2014  
 Dr. Ram Narayan Bhoori at Shikharini W.N. H 922455  
 13 Agony Trust Deed of 4000/-  
 Ashok Kumar Verma

ASHOK KUMAR VERMA  
 STAMP VENDOR  
 LICENCE No. 125/74

7. प्रबंध समितिका अधिकार :-  
 पाँच सदस्य संस्थापक सदस्य से निर्वाचित किए जायेंगे।  
 संस्थागत सदस्य और स्थायी सदस्यों में से निर्वाचित किए जायेंगे।

8. पदाधिकारी के अधिकार और कर्तव्य :-

1. संस्थापक अध्यक्ष :

1. संस्थापक अध्यक्ष के सर्वोच्च पदाधिकारी सह-मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी होंगे।
2. न्यास की ओर से सभी तरह का पत्राचार करना।
3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
4. न्यासी एवं प्रबंध समिति की बैठक के लिए सूचना देना।
5. न्यास के लिए अतिरिक्त संसाधन सृजित करना।
6. आवश्यकता पडने पर निर्णायक मत देना या विवादाग्रस्त परिस्थिति में संस्थापन/ न्यासकर्ता का निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा। उनके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दी जायेगी।
7. न्यास के सभी कार्य उनके प्रशासनिक निर्णय के अन्तर्गत ही किया जाएगा।
8. संस्थापक अध्यक्ष जब चाहे प्रबंध समिति के सदस्य की सदस्यता को रद्द करने का अधिकार होगा और उनका निर्णय अन्तिम और सर्वमान्य होगा।
9. संस्थापक अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वे जब चाहें न्यास का विघटन कर सकें।
10. न्यास के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी की हैसियत से न्यास के दैनिक प्रशासन से संबंधित सभी लेख पत्रों पर हस्ताक्षर करने के लिए सर्वोच्च पदाधिकारी होंगे तथा सभी मामलों में एक सर्वत्र अधिकार के अधीन रह कर ट्रस्ट का प्रतिनिधित्व करेंगे।



24.11.2014  
 9.5.103  
 Ram Narayan Bhoori  
 14103



बिहार BIHAR



SN 3562

Dated 13.3.2014

H 922456

Dr. Ram Narayan Bharti & Shripur W. N. 9  
for Trust deed of Ashok Kumar Verma

ASHOK KUMAR VERMA

11. न्यास के सभी अभिलेखों को सुरक्षित रखना एवं हस्ताक्षर करना।
12. न्यास की सभी बैठकों का आयोजन करना तथा सचिव के परामर्श से बैठकों के लिए एजेन्डा/कार्यक्रम बनाना।
13. न्यास के समस्त आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना तथा उनका अंकेक्षण करना, वार्षिक बजट प्रस्तुत करना।
14. न्यास की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सुझाव देना एवं योजना समितियों/प्रबंध समिति के समक्ष उपस्थापित करना तथा न्यास के विकास हेतु देश-विदेश में प्रतिनिधित्व करना।
15. बैठक में पारित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप कार्य सम्पादित करना/ अनुपालन करना।
16. न्यास के कार्यक्रमों, कार्यों के सम्पादन हेतु अधिकारियों/ कर्मचारियों की नियुक्ति करना या कार्य मुक्त करना।
17. आवश्यक कार्य हेतु प्रबंध समिति की बिना पूर्व स्वीकृति के संस्थापक द्वारा शुल्क अदा करना।
18. राष्ट्रीय/राज्य/जिला शाखा के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।

2. ट्रस्टी सचिव :-

सचिव न्यास की एकता का प्रतीक होगा और न्यास की प्रतिष्ठा, सुरक्षा, पवित्रता और समग्रता का प्रहरी होगा। आम सभा, प्रतिनिधि सभा, असाधारण आम सभा, प्रबंध समिति तथा किसी समिति, उप समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और किसी प्रस्ताव पर बराबर मतदान की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। असामान्य स्थिति में न्यास के आवश्यक कार्यों को सम्पन्न करेगा।

3. ट्रस्टी कोषाध्यक्ष :-

न्यास के कोष रोकड़ और बैंक पास बुक को सुरक्षित रखने का उत्तरदायित्व कोषाध्यक्ष को होगा। अधिक से अधिक संस्थापक द्वारा स्वीकृत शुल्क तक न्यास

Dr. Ram Narayan Bharti  
14/03/2014

Dr. Ram Narayan Bharti  
14/03/2014

Dr. Ram Narayan Bharti  
14/03/2014



SIN 3562 Dated 13.3.2019 Gid to H 922457  
 Dr. Ram Narayan Thakur at Shikpur with  
 for Trust Dated 12/11/2008  
 Ashok Kumar Verma

**ASHOK KUMAR VERMA**  
 STAMP VENDOR  
 CIVIL COURT, ARARIA  
 LICENCE No-125/74

के कार्यों के लिए कोषाध्यक्ष अपने पास रखेंगे। परन्तु इससे अधिक धनराशि जमा हो जाने पर डाकधर या बैंक (किसी राष्ट्रीयकृत बैंक) में न्यास के नाम से जमा करना कोषाध्यक्ष का दायित्व होगा जमा कोष से रुपये की निकासी संस्थापक अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव एवं ट्रस्टी कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। जिसमें संस्थापक अध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा।

**4. प्रबंध समिति के निम्नलिखित अधिकार तथा कार्य होंगे:-**

- (क) न्यास के सभी चल अचल सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुचारु प्रबंध के लिए उत्तरदायी रहना।
- (ख) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आम सभा की स्वीकृति प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।
- (ग) समान उद्देश्य की ट्रस्ट, स्वैच्छिक संगठन के साथ सहयोग करने का निर्णय लेना, सम्बंधता प्राप्त करना तथा उसकी पूर्ति हेतु सभी तरह के आवश्यक कार्य करना।
- (घ) जिला/अनुमंडल/प्रखण्ड/पंचायत शाखा हेतु व्यय के लिए धन राशि का आवंटन करना।
- (ङ) प्रबंध समिति प्रत्येक कार्यवाही का निर्णय न्यास के नियमानुसार करेगी।
- (च) सदस्यता के लिए प्राप्त आवेदन पत्र को स्वीकृत या अस्वीकृत करना।
- (छ) किसी सदस्य जिनकी चरित्र उद्देश्यों को कुठाराघात पहुँचाता हो उसे सदस्यता से वंचित करना/विमुक्त करना।
- (ज) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो भी आवश्यक एवं हितकर हो उसे करेगी।

**5. प्रबंध समिति की बैठक :-**



Dr. Ram Narayan Thakur  
 14/11/2019  
 Shyam Ram 14/11/2019  
 Rajendra Kumar  
 14/11/2019  
 Dr. Ram Narayan Thakur  
 14/11/2019





बिहार BIHAR

SN 3562

Dated 12.2.2019

Salt A

H 922458

Dr. Ram Narayan Bhorat of Chhapra with  
 to Araria for the purpose of 1000/-  
 Ashok Kumar Verma



ASHOK KUMAR VERMA  
 STAMP VENDOR  
 CIVIL COURT, ARARIA  
 LICENCE No-125/74

1. साधारण सभा के लिए कम से कम सात दिन, असाधारण बैठक के लिए तीन दिन और आपातकालीन बैठक के लिए एक दिन की पूर्व सूचना दिया जाना आवश्यक होगा।
2. प्रबंध समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में एक बार होगी।
3. बैठक में कुल सदस्यों की एक तिहाई उपस्थिति को कोरम माना जाएगा।
4. स्थगित बैठक के लिए कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु प्रथम सूचना के बाहर के किसी विषय पर विचार नहीं हो सकेगा।

6. आम सभा :-

प्रबंध समिति द्वारा निश्चित तिथि, समय तथा स्थान पर वार्षिक आम सभा प्रत्येक वर्ष के अप्रैल माह में होगी जिसकी पूर्व सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दे दी जाएगी। आम सभा के निम्नलिखित कार्य होंगे।

1. पिछली बैठक की कार्यवाह को संपुष्ट करना।
2. वार्षिक प्रतिवेदन का स्वीकृति प्रदान करना।
3. न्यास के कार्यों की समीक्षा करना।
4. अंकेक्षित आय-व्यय लेखा पर विचार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
5. अंकेक्षक की नियुक्ति करना।
6. अगामी वर्ष के लिए आय व्यय का बजट तैयार करना एवं स्वीकृति प्रदान करना।
7. अगामी वर्ष के लिए कार्यक्रम सुनिश्चित निर्धारित करना।
8. पूर्व सूचना प्राप्त किसी प्रस्ताव पर संस्थापक अध्यक्ष, ट्रस्टी सचिव की अनुमति से विचार करना।

7. असाधारण बैठक :-

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Dr. Ram Narayan Bhorat' and 'Ashok Kumar Verma'.





SN 2512 Date 13.2.2014  
 Dr. Ram Narayan Bhatti at Ghimpur H 922995  
 P.S. Araria for Trusty Dept. Ashok Kumar Verma

**ASHOK KUMAR VERMA**  
 STAMP VENDOR  
 CIVIL COURT, ARARIA  
 LICENCE No-125/74

संस्थापक अध्यक्ष के द्वारा तीन दिन पूर्व की सूचना पर निम्नांकित अवस्था में असाधारण बैठक बुलाई जा सकती है।

1. आवश्यकतानुसार संस्थापक अध्यक्ष की सलाह पर।
2. कुल सदस्यों की दो तिहाई सदस्यों के द्वारा बैठक की मांग किये जाने पर।
3. सभा/बैठक का कार्यप्रणाली का नियम संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार होगा और संस्थापक अध्यक्ष के निर्णय को कहीं भी चुनौती नहीं दी जायेगी।
4. आम सभा के बैठक की सूचना 30 दिन पूर्व दी जायेगी।
5. प्रबंध समिति के बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व दी जायेगी।
6. बैठक की सूचना निबंधित डाक, पंजी या विशेष दूत से दी जायेगी।

8. मतदान :-

साधारण मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान भी किया जा सकेगा। किसी विशेष परिस्थिति में गुप्त मतदान हाथ उठाकर खुले आम किया जायेगा। किसी असाधारण परिस्थिति में प्रबंध समिति की अनुमति लेकर संस्थापक/न्यासकर्ता द्वारा मतदान की भी व्यवस्था हो सकती है।

9. कार्यकाल :-

पदाधिकारियों एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ताकि उन्हें पुनः निर्वाचित होने में कोई बाधा नहीं रहेगी।

10. रिक्त पदों की पूर्ति:-





## Endorsement of Certificate of Admissibility

Admissible under Rule 5 : duly Stamped ( or exempted from or does not require stamp duty ) under the Indian Stamp Act, 1899, Schedule I or I-A, No. '64'. Also admissible under section 26(a) of the B. T. Act.

Stamp duty paid under Indian Stamp Act	Rs. 5000/-	Amt. Paid By N.J Stamp Paper	Rs. 4000/-
Addl. Stamp duty paid under Municipal Act	Rs. 0/-	Amt. paid through Bank Challan	Rs. 4470/-

Registration Fee										LLR + Proc Fee		Service Charge
A1	3020	C	0	H1b	0	K1a	0	LII	0	LLR	0	450
A8	0	D	0	H2	0	K1b	0	LIII	0	Proc. Fee	0	
A9	0	DD	0	I	0	K1c	0	Mb	0	Total	0	
A10	0	E	0	J1	0	K2	0	Na	0			
B	0	H1a	0	J2	0	LI	0					
<b>TOTAL-</b>									<b>3020</b>			

Total amount paid (Reg. fee+LLR, Proc+Service Charge) in Rs. - **3470**

Registering Officer  
Araria Sadar

Date: 14/03/2014

### Endorsement under section 52

Presented for registration at Registration Office, Araria Sadar on Friday, 14th March 2014 by Dr. Ram Narayan Bharti Nathuni Sharma by profession Agriculture. Status - Trustee

*Dr. Ram Narayan Bharti*  
14/03/2014  
Signature/L.T.I. of Presentant



Registering Officer  
Araria Sadar

### Endorsement under section 58

Execution is admitted by those Executants and Identified by the person ( Identified by 'Virendra Tatma ' age '28' Sex 'M', 'Ram Nath Tatma ', resident of 'Tatma Tola Sisia, Ps- Jokihaat, Dist- Araria ' ), whose Names, Photographs, Fingerprints and Signatures are affixed as such on back page / pages of the instrument.

Date : 14/03/2014

Registering Officer  
Araria Sadar

### Endorsement of Certificate of Registration under section 60

Registered at Registration Office Araria Sadar in Book 4 Volume No. 1 on pages on 175 -192 , for the year 2014 and stored in CD volume No. CD-1 year 2014 .The document no. is printed on the Front Page of the document.

Date : 14/03/2014

Registering Officer  
Araria Sadar

Token No. : 2843      Year : 2014      S.No. : 2813      SCORE Ver.3.0      Deed No. : 15